रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 19 सितम्बर, 2000/28 भाद्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th September, 2000

No. HSG-2 (B) 15-4/98.—Consequent upon the merger of H. P. Nagar Vikas Pradhikaran with Housing Board, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the abolition of following number of posts lying vacant in H. P. Nagar Vikas Pradhikaran with immediate effect :—

1.	Chief Admintstrator	1 No.
2.	Chief Engineer	1 No.
3.	Architect	1 No.
4.	Executive Engineer (C)	1 No.
5.	Personal Assistant	1 No.
6.	Sr. Scale Stenographer	6 Nos.
7.	Sr. Assistant	1 No.
8.	Patwari	3 Nos.
9.	Clerks	2 Nos.
10.	Steno typist	

1916-राजपत्र/2000-19-9-2000—1,395.

मूल्य : 1 रुपया।

11.	Divisional Head Draughtsman	2 Nos.
12.	Draughtsman	1 No.
13.	Surveyor	1 No.
14.	Driver	1 No.
15.	Junior Engineer (C)	7 Nos.
16.	Junior Engineer (E)	1 No.
17.	Chowkidar	1 No.
		32 Nos.

By order,

KANWAR SHAMSHER SINGH,
Fin. Commr.-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 4 सितम्बर, 2000

सं0पी सी एच-एच ए(5)34/2000-ठोंठा जाखल.—यह कि श्री रत्न सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को उपायुक्त सिरमौर द्वारा आदेश संख्या पी0 एस0 (आडिट)/87, दिनांक 29 मार्च, 2000 को निम्नलिखित आरोपों में संलिप्त पाए जाने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया । आरोपों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. यह कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं0 5, दिनांक 23-3-99 को बैंक से रु0 15000/- रुपये प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण ठोन्ठा जाखल के व रु0 12000/- रुपये सामुदायिक भवन जाखल के कुल रु027000/- रुपये बैंक से निकालने हेतु अधिकार श्री सं य वर्मा, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को दिया गया था जो रोकड़ पृ0 160, दिनांक 24-3-99 को दर्ज किया है । इस राशि को श्री रत्न सिंह, प्रधान, तथा श्री संजय वर्मा, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्य में व्यय न करके राशि का स्पष्ट रूप से छलहरण किया गया ।

2. ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल को 10वें वित्तायोग के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में रु0-18000/- रुपये का अनुदान विकास कार्यों हेतु जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय द्वारा आबंटित किया गया । इस राशि में से रु0 5000/- रुपये प्रधान व श्री संजय वर्मा, ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा सहकारी बैंक पांवटा से प्राप्त किए गए । इस राशि की रोकड़ पृ0 159, दिनांक 23-3-99 अनुसार विकास कार्यों में व्यय न करके पेशगी के रूप में रखकर राशि का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग एवं छलहरण किया गया है ।

3. उपायुक्त, सिरमौर के कार्यालय आदेश संख्या-पी0 एल0 जी0-एस0 आर0 एम0 (एस0 वी0 वी0 एस0 वाई0)/183/2000-10870, दिनांक 28-8-99 द्वारा गांव वाईला गजौण, ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल विकास खण्ड पांवटा-साहिब को सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना के अन्तर्गत 2 कमरों की स्वीकृति रु0 1,60,000/- स्वीकृत किया गया था । इस राशि को सहकारी बैंक नाहन के चैक सं0-18569 दिनांक 13-8-99 को प्रधान ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल को भेजा गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त राशि को प्रधान तथा ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल के खाता सहकारी बैंक सतौण में जमा किया जाना था किन्तु प्रधान द्वारा ऐसा न करके पंजाब

नैशनल बैंक पांवटा-साहिब के खाता संख्या-590 में दिनांक 16-9-99 को अपने निजी खाते में जमा किए गए। इस खाते में से प्रधान द्वारा रु0 44,80 रुपये दिनांक 5-10-99 को निकाला गया और इस राशि को ग्रामीण शिक्षा समिति को न देकर राशि का स्पष्ट रूप से छलहरण किया गया है।

निलम्बन के दृष्टिगत, उक्त प्रधान के निलम्बन आदेशों की राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) के अन्तर्गत दिनांक 3-7-2000 को पुष्टि की जा चुकी है। पुष्टि के उपरांत अब कथित आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु राज्य सरकार ने वैधानिक जांच संचालित करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) में प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए, श्री रत्न सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा-साहिब, जिला सिरमौर के विरुद्ध कथित आरोपों की वैधानिक जांच हेतु जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड पांवटा-साहिब को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। जांच अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे एक माह के भीतर-भीतर जांच पूर्ण करके विस्तृत रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे। श्री रत्न सिंह, प्रधान (नि0), ग्राम पंचायत ठोन्ठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब को यह भी निर्देश दिए जाते है कि जांच के दौरान जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

NOTIFICATIONS

Shimla-9, the 8th September, 2000

No. PCH-HA (2) 15/99-21592-21607.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under clause (i) to sub-section (2) of section 122 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), is pleased to authorize the Returning Officer or the Assistant Returning Officer, who is appointed by the District Election Officer (Panchayat) to decide the question whether a person is or has become subject to any of the disqualifications under sub-section (1) of section 122 of the Act during the process of an election to the Panchayati Raj Bodies.

Shimla-9, the 8th September, 2000

No. PCH-HA (4) 15/2000-21577-91.—The Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under section 189 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), is pleased to delegate the powers conferred on the State Government under section 160-A, 160-B and 160-C of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 as amended vide Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2000 (Act No. 18 of 2000) to the Deputy Commissioners within their respective district with immediate effect.

By order,

Sd/-
Commr.-cum-Secretary (Panchayati Raj).

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-171002, *the* 8*th September*, 2000

No. LSG-D (1)-9/94-II.—In partial modification of this department Notification of even number, dated 24-8-2000, imposition of all taxes will come in operation *w. e. f.* 1st January 2001 in respect of M. C./N. Ps. in Una District.

By order,

RAVI DHINGRA,
F. C.-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।